हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है।

28/05/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष अनु० वादी का वाद O 9 R 3 जा०दी० में खारिज किया जा चुका है इसलिए T.I प्रा०पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है इसलिए वादी का प्रा०पत्र O 9 R 3 जा०दी० में खारिज किया जाता है। पत्रावली कौंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.10.30 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक